(7)

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

| दिनांक | |
|---|---|
| 22/11/15 | पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 22/9/16 को पेश हो। |
| 22/9/16 | पत्रावली पेश हुई। [illegible] दिनांक 9/5/16 को पेश हो। |

राजस्व लोक अदालत
अभियान चलाए आपके द्वार 2015
कैम्प.....सैंथो.....

26/5/16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर कैम्प पर पेश हुई। तहसीलदार हिण्डौन ने कंटवरा स्कीम प्रस्तुत की, मुताबिक डिक्री कंटवारा स्कीम ग्राम बाटपोखरी में आराजी ख०नं० 11/1 रकबा 1.65 है०, प्रतिवादी सं० 1 रेवाराम, प्रतिवादी नं. 2 अमरसिंह के हिस्से जाता है। प्रतिवादी नं०2 लार्डोलाल फौत होने की रिपोर्ट पर प्रतिवादी नं०1 रेवाराम पुत्र रामधन जाति गुर्जर नि० राजापुरा ख०नं० 11/2 रकबा 0.79 है० ख०नं० 12 रकबा 0.28 है० ख०नं० 13 रकबा 0.26 है० ख०नं० 14/031 पर मोहर सिंह पुत्र कल्ला जाति गुर्जर नि० राजापुरा के पक्ष में आवंटित है।

मौके पर काबिज तरमीम के आधार पर पं० हरु द्वारा प्रस्तुत नक्शा ईश ख०नं० 11/2 रकबा 0.79 है० एवं अन्य ख०नं० 12, 13, 14 के 1.68 है० एक हिस्सा बाटी के प्रतिवादी नं.2 ख०नं० 11/1 रकबा 1.65 है० इलाए हिस्सा होगा। अतः मुताबिक निर्णय प्राथमिक डिक्री वादी एवं प्रतिवादी नं.1 व 2 को विवादित भूमि में से 1/2 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित हुए है।